

<p>7. कोई प्रबन्ध जो कि परामर्श के लिये अस्तित्व में है, या जिसके द्वारा प्रत्यावेदन किया जाता है, वे लोग जो कि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेंगे, का विवरण ।</p>	<p>विभाग की योजनाओं एवं कार्य-कलापों से संबंधित नीतियों के निर्धारण एवं उनके क्रियान्वयन के बारे में सुझाव एवं परामर्श देने के लिए राज्य स्तर पर राज्य सैनिक परिषद (मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में) तथा जिला स्तर पर जिला सैनिक परिषद (जिलाधिकारी की अध्यक्षता में) गठित है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि, निर्वाचित जन-प्रतिनिधि तथा महिलाओं एवं साधारण जनता के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं । इन परिषदों की बैठकें समय-समय पर होती हैं जिसमें नीतियों एवं योजनाओं के निर्धारण और उनके क्रियान्वयन के संबंध में बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते हैं । इसके अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर पूर्व सैनिक सम्मेलन एवं रैलियों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें पूर्व सैनिकों और आम जनता के प्रतिनिधियों से भी उक्त के सम्बंध में उपयोगी जानकारी(feed back) एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होते रहते हैं ।</p>
--	---